सहमति के बयान दे दो ताकि उक्त रकबा हमारे नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हो सके । परन्तु प्रतिवादी आज कल आज कल करता रहा और आज से 2 रोज पूर्व रकबा वादीगण के नाम करवाने से साफ इंकार हो गया । बस यही बिनाय दावा है ।

अतः वाद वादीगण मय हलफनामा के दो प्रतियो मे पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण तथा विरूध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री जारी की जावे। (क) वादीगण संख्या 1 ता 3 चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या 66/65 मे 0.327 हैक्टैयर ब.हि.ब. चक 3 एलएलजी मे ही खाता संख्या 158/154 मे 1.138 हैक्टैयर बारानी व. हि.ब. चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 90/76 मे 1.096 हैक्टे.बारानी रकबा के ब.हि. ब. खातेदार काश्तकार है। (ख) यह कि चक 3 एलएलजी मे खाता संख्या 66/65 मे 0.327 हैक्टैयर चक 3 एलएलजी मे ही खाता संख्या 158/154 मे 1.138 हैक्टैयर बारानी चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 90/76 मे 1.096 हैक्टे.बारानी रकबा से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे ।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादीगण मे उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुंआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है एवं वादाधीन आराजी संयुक्त परिवार की सम्पति है जो कि वादी एव प्रतिवादीगण पारिवारिक बंटवारानूसार खातेदारी घोषणा एव खाता तकसीम का अनूतोष चाह रहे है एव वादाधीन आराजी का खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से अलग कायम है, प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के कथनों को जरिये इकबाल कथन स्वीकार किया है एव वाद पत्र के समर्थन में अपनी सहमति प्रदान की है। वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 पारिवारिक बंटवारानूसार वादाधीन आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है एवं वादीगण की कब्जा काश्त के सम्बध में कोई विरोध नही है, एव उभयपक्षकारान ने पारिवारिक बंटवारानूसार वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार वादीगण ने अपने दावा एव प्रतिदावा को दस्तावेजी साक्ष्यों इकबाल कथनों, बहस एव अभिकथनों से बखूबी साबित किया है। वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व)सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि– चक 3 एलएलजी के खाता संख्या 66/66 मे 0.327 हैक्टैयर बारानी व. चक 3 एलएलजी के ही खाता संख्या 158/158 मे 1.138 हैक्टैयर बारानी एवं चक 1 एलएलजी मे खाता संख्या 76/76 मे 1.096 हैक्टे. नहरी आराजी, कुल 2.561 है0 आराजी का वादी संख्या 1 ता 3 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस हद तक प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned with CamScanner